समाचार

बकाया कर राशि जमा न करने का नतीजा, निगम के 03 बड़े बकायादारों की प्रॉपटी को किया गया सील, निगम के कोरबा जोन में हुई कार्यवाही

(निगम के बकायदारों पर अब हो रही सख्ती , कर न जमा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा निगम, सीलबंदी के साथ सम्पत्तियों को कुर्क करने की होगी कार्यवाही)

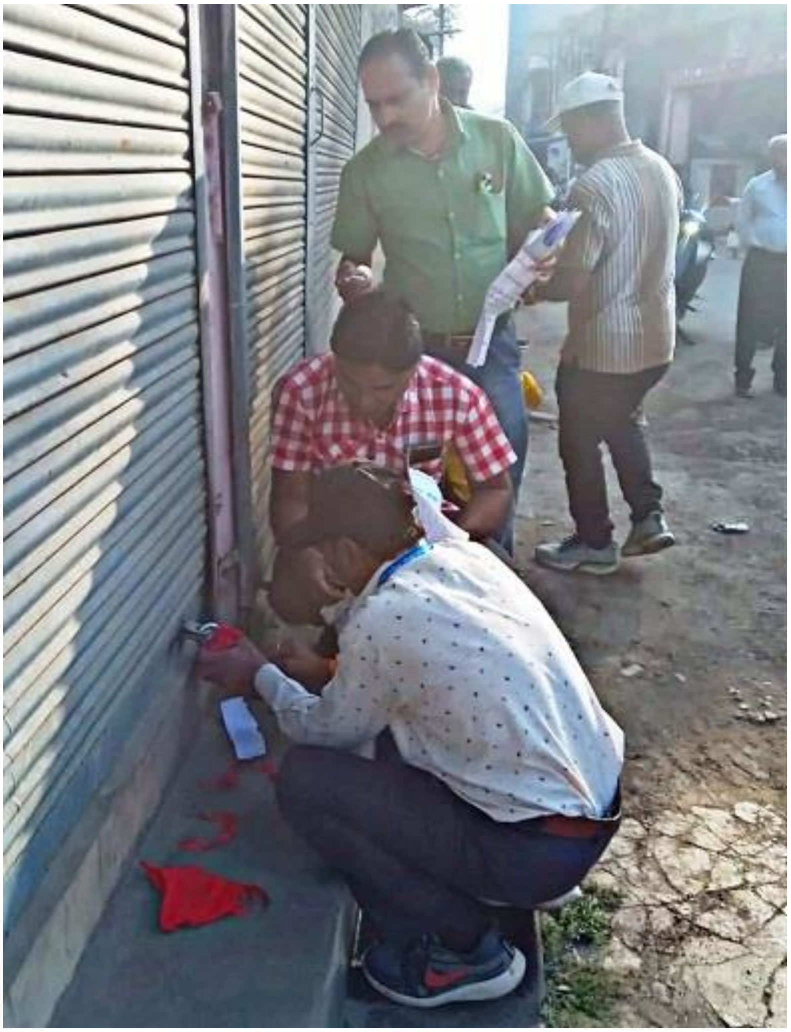

कोरबा 13 मार्च 2026 – निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाता द्वारा न पटाये जाने पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर आज निगम ने 03 बकायादारो की सम्पत्ति को सील कर दिया, यह कार्यवाही कोरबा जोन में निगम के बडे बकायादारो पर की गई, कर न जमा करने वाले बकायादारों पर अब सख्त कार्यवाही कर रहा है निगम, विशेष कर बडे बकायादारों द्वारा यदि शीघ्र बकाया करों की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो सम्पत्तियों की सीलबंदी की कार्यवाही की जा रही है, साथ ही उन्हें कुर्क करने की कार्यवाही भी निगम द्वारा की जाएगी।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बडे बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार–बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध अब निगम कड़ी कार्यवाही कर रहा है । यहॉ उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार–बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है तथा संपत्तियों को सील किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निगम के कोरबा जोन में वार्ड क्रमांक 06 निवासी जरहा साव बकाया राशि रु 186700, वार्ड क्रमांक 06 सिंधी गुरुद्वारा के समीप सीमेंट दुकान संचालक राशि रु 146679 तथा पुरानी बस्ती निवासी सहोदरा बाई राशि रु 99535 आदि बकायादारो द्वारा सम्पत्तिकर की बकाया राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही, जिन पर कार्यवाही करते हुए निगम की टीम ने उनकी सम्पत्ति को सील कर दिया है तथा उन्हें तत्काल बकाया कर राशि निगम कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाही के दौरान कार्यपालन अभियंता भूषण उरांव, उप जोन प्रभारी अजयकुमार अग्रवाल,अविनाश जायसवाल, विनोद गोंड, ओमप्रकाश श्री वास, परमानंद राठौर, उत्तम राठौर, राजेश साहू सहित अन्य राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।

<u>तत्काल जमा करें, बकाया करों की राशि</u> – आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय ने निगम समस्त बकायादारों, करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम को देय करों की बकाया राशि तत्काल निगम में जमा कराए तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे। उन्होंने कहा है कि समय पर कर राशि जमा न कराने पर एक ओर जहाँ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है तो वही दूसरी ओर नगर के विकास कार्य व नागरिक सुविधाएं प्रभावित होती है, साथ ही नियमित रूप से कर जमा न करने पर करदाताओं पर बकाया राशि बढ़ती जाती है, जिसे एक न एक दिन जमा कराना ही पड़ता है, अतः आवश्यक है कि करों का नियमित भुगतान किया जाय। आयुक्त श्री पांडेय ने कहा है कि निगम द्वारा बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने हेतु तत्काल बकाया राशि निगम में जमा कर दें।